राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/07/2019 को संपन्न 287वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---000---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 287वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 25/07/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री जी.एल. सांकला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 24/07/2019 को संपन्न 286वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: 284वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु उपयुक्त पाए गये प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 98)

ऑनलाईन आवेदन – वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 37384/ 2013, दिनांक 06/06/2019 के माध्यम

से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (change in fuel) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 599/20, कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर में स्थापित कोल वॉशरी रिजेक्ट आधारित पॉवर प्लांट (2 गुणा 50 मेगावॉट) क्षमता – 100 मेगावॉट में वॉशरी रिजेक्ट के स्थान पर रॉ–कोल का उपयोग करने के लिए (change in fuel) पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1088, दिनांक 29/11/2013 द्वारा ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 599/20, कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर में कोल वॉशरी रिजेक्ट आधारित पॉवर प्लांट (2 गुणा 50 मेगावॉट) क्षमता – 100 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/07/2019 द्वारा सूचना दिया गया कि समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा एवं हिरमी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 900)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37500/ 2019, दिनांक 08/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मोहरा में खसरा क्रमांक 146, 147, 148, 149, 150, 168/1, 2, 3 एवं 4, 169, 170/1, 2, 3, 4 एवं 5, 171, 172/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, 173, 174/1 एवं 2, 175, 176, 177/1 एवं 3, 178, 179/1 एवं 2, 180, 181/1, 2 एवं 3, 182/1 एवं 6, 183, 184 तथा ग्राम–हिरमी में खसरा क्रमांक 872/2, 856, 855/3, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित कुल क्षेत्रफल – 67 एकड़ (27.129 हेक्टेयर) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स/एम.एस.इंगाट्स) (5 गुणा 10 टन) क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/ स्ट्रक्चरल स्टील/ रोल्ड

प्रोडक्ट्स) (1 गुणा 500 टन प्रतिदिन) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर. बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट तथा एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 98 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश सिंघानिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–मोहरा 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तिल्दा 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महानदी 1.5 किलोमीटर एवं बंजारी नाला 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 41 किलोमीटर दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 27.129 हेक्टेयर (67 एकड़) है, जिसमें से प्लांट का क्षेत्रफल 20 एकड़, रॉ–मटेरियल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 3 एकड़, प्रोडक्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 2 एकड़, ठोस अपशिष्ट वेस्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 1.5 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 2 एकड़, हरित पट्टिका का क्षेत्रफल – 22.5 एकड़ (33.58 प्रतिशत), वॉटर रिजर्वायर एवं आर.डब्ल्यू.एस. का क्षेत्रफल 0.5 एकड़, पार्किंग का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ तथा खुला क्षेत्र 15 एकड़ है।

3. प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु विभिन्न संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

S. N.	Unit (Product)	Configuration	Production capacity
1.	DRI klin (Sponge Iron)	2x 95 TPD	62,700 TPA
2.	Induction Furnace (MS Billets/ Ingots)	5x10 T	1,65,000 TPA
3.	Rolling Mill (TMT Bars/ Structural Steel / Rolled	1x500 TPD	1,50,000 TPA

	Products)		
4.	WHRB based Power Plant	2x12 TPH	5 MW
5.	FBC based Power Plant	1x24 TPH	5 MW

4. रॉ–मटेरियल :–

S. No.	Raw Material		Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For DRI kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA					
1.	Iron ore		1,00,320	Barbil, Orissa, NMDC, Chhattisgarh	By Rail and Road (through covered trucks)
2.	Coal	Indian Coal or	81,510	SECL, Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
		Imported Coal	56,430	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through Sea Route, Rail & by road
3.	Dolomite		3,135	Chhattisgarh	By Road (through covered trucks)
For Induction Furnace (MS Billets/Ingots) – 1,65,000 TPA					
1.	Sponge Iron		1,37,000	Own generation & purchase from Raipur	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap		59,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
3.	Ferro alloys		2,500	Raipur	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill (TMT Bars & Structural Steel / Rolled Products) - 1,50,000 TPA					
1.	MS Ingots/ Steel billet		1,60,500	Own generation	----
2.	Furnace oil		7,500 KL	Nearby HPCL /IOCL depots	Tankers
3.	Coal For Gasifier Producer gas 9,000 NM^3/Hr	Indian Coal or	30,000	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
		Imported Coal	19,200	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through sea route, rail & by road
For FBC Boiler (Power Generation 5 MW)					
1.	Indian Coal (100%)		27,000	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)

OR				
2.	Imported Coal (100%)	17,280	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through sea route/ rail route / by road
OR				
3.	Dolochar	18,180	In Plant Generation	through covered conveyor
	Indian Coal	17,595	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By Rail and Road (through covered trucks)
OR				
4.	Dolochar	18,180	In Plant Generation	through covered conveyor
	Imported Coal	7,875	Indonesia/ South Africa/ Australia	Through sea route/ rail route / by road

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) के साथ डब्ल्यु.एच.आर.बी. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर चिमनी प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं चिमनी प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं चिमनी प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई), एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम तथा एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट से एस.ओ.$_{एक्स}$ एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ का उत्सर्जन 100 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S. No.	Waste	Quantity (TPA)	Method of Disposal
For Sponge Iron plant			
1.	Ash from DRI	11,286	Will be given to cement plant & bricks manufacturers
2.	Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
3.	Kiln Accretion	564	Will be used in road construction & given to brick manufacturers

	Slag		
4.	Wet scrapper sludge	2,884	Will be used in road construction & given to brick manufacturers.
For Induction Furance			
5.	SMS Slag	16,500	Slag from SMS will be crushed and iron will be recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road construction
For Rolling Mill			
6.	End Cutting	5,700	Will be reuse in the SMS
7.	Mill Scales	1,800	Mill scale will be given to nearby Ferro alloys manufacturing units or casting units.
8.	Ash (with Indian Coal + dolochar)	27,000	Ash generated will be given to cement plants / bricks manufacturers
9.	Ash (with Imported Coal + dolochar)	17,280	Ash generated will be given to cement plants / bricks manufacturers

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 320 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, स्पंज ऑयरन प्लांट हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 60 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन एवं पॉवर प्लांट हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

8. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 20.5 मेगावॉट विद्युत खपत होगा। विद्युत की आपूर्ति 10 मेगावॉट स्वयं के पॉवर प्लांट से एवं शेष 10.5 मेगावॉट छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 22.5 एकड़ (33.58 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय:– समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(डी) थर्मल पॉवर प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की जाये:–

1. Project proponent shall submit source of coal supply (indigenous and imported) and documentry evidence to substantiate confirmed coal linkage / aggreement shall be furnished.
2. Project Proponent shall submit land diversion documents.
3. Project Proponent shall submit details of STP with zero discharge.
4. Project Proponent shall explore possibility of hot charging for rolling mill.
5. Project proponent shall submit copy of updated khasra, B1 records.
6. Project Proponent shall submit layout plan with green belt all around the project site.
7. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
8. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
9. Project proponent shall submit calculation of chimeny height.
10. Rain water harvesting proposals should be made with due safeguards for ground water quality. Maximize recycling of water and utilization of rain water.
11. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), ग्राम–कुरूद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 899)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37416/2019, दिनांक 07/06/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र</u> – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) दिनांक 28/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशा.) वास्ते कलेक्टर एवं सहायक खनिज अधिकारी, रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 536, रायपुर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, ऐनीकट, वाटर सप्लाई स्कीम, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती राजश्री साहू, सरपंच एवं श्री नरेन्द्र पटेल, सचिव, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) तथा श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

2. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुरूद 1.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–कुरूद 1.75 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–समोदा 7.70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.1 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 16.6 किलोमीटर दूर है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1150 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 163.93 मीटर दर्शाई गई है।

5. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जाने हेतु निर्देश दिए गये।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 5 मीटर है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–</u>

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया जाएः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड, कैसेटराईट माईन, ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 714)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74696/2018, दिनांक 20/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2018 एवं 23/08/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/11/2018, 13/08/2018 एवं 12/06/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 179, 182 एवं 183, कुल क्षेत्रफल – 4.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/07/2019 द्वारा सूचना दिया गया कि समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड, ग्राम–बड़े बचेली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 715)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74714/2018, दिनांक 21/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2018 एवं 23/08/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/11/2018, 13/08/2018 एवं 12/06/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बड़े बचेली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 979, 980/1,2,3, 981, 982, 983 एवं 984, कुल क्षेत्रफल – 5.314 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/07/2019 द्वारा सूचना दिया गया कि समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद(ली), ग्राम–अरौद(ली), तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 902)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37747/2019, दिनांक 13/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अरौद(ली), ग्राम पंचायत अरौद(ली), तहसील व जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–66,825 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत अरौद(ली) द्वारा दिनांक 08/11/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अरौद(ली) दिनांक 08/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 442/खनि/न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 12/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 40 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तोमेश्वर सिन्हा, सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद(ली) एवं श्री मिदुल गुहा, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया किः–

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम–अरौद(ली) 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–अरौद(ली) 1 किलोमीटर एवं अस्पताल धमतरी 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 25 किलोमीटर दूर है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 650 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 196 मीटर दर्शाई गई है।
5. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 66,825 घनमीटर हैं।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 11/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4.3 मीटर है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) दिया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत की गई है। खनिज अधिकारी द्वारा पत्र में यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–</u>

1. आवेदित खदान (ग्राम–अरौद(ली) का रकबा 4.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–अरौद(ली), ग्राम पंचायत अरौद(ली), तहसील व जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–भिठ्ठीकला, तहसील–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 923)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 39297/2019, दिनांक 15/07/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–भिठ्ठीकला, तहसील–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपए 2.85 करोड़ है।

<u>बैठकों का विवरण</u> – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति का मत है कि अंबिकापुर क्षेत्र में चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTFS) नहीं है, इसकी यथाशीघ्र स्थापना आवश्यक है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली में बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

के पालन के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी भी शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

अतः समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 25/07/2019 को संपन्न 287वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉयरेक्टर, श्री रोहितास भोमिया, प्रोजेक्ट हेड एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स इनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, सूरत की ओर से श्री परेश मेवावाला उपस्थित हुए। समिति द्वारा श्री बी.एस. ठाकुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल को जैव–चिकित्सा अपशिष्ट नियम से संबंधित तकनीकी परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–थोर 0.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन अंबिकापुर 4.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुगंटा नदी 6 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण** – भूमि को आयुक्त, नगरपालिक निगम, जिला–सरगुजा द्वारा 30 वर्षो के लिए दिनांक 07/07/2019 से 06/07/2049 तक लीज पर मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है।

3. **ट्रीटमेंट फेसीलिटी** –

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	200kg/Hr
Type	Cylindrical Vertical (Solid Waste Feeding)
Revolution	0.2 To 1 Rpm
Volume	4 M^2
Moc (Shell)	Ss-310-10 Mm Thick
Chamber Pressure	10-20 Mm Wc
Travel Speed	6.02 M/Hr
Refractory Thickness	25 Mm
Grith Gear	Moc En 19 Forged 8 Module Super Gear Type
Drive Gear Box	Elecon/Reputed Company Make
Drive Motor	10 Hp Make Class 4 Duty Induction Motor
Inner Diameter Of Kiln	1,200 Mm
Inner Length Of Kiln	3,000 Mm
Tire Wheel	250 Wide 2 Set

Flue Gas Velocity	1.3 Mtr / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Seperator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure Air Sealing For Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Bucket Elevator With Hopper
Waste Receiving From Klin Side	Hopper Unit With Safety Door
Feeding Unit	5 HP
Nature / category Waste	Incinerable Bio-Medical Waste with Maximum 85% Moisture Content
Heat Loss fraction	0.05
Design Temperature	1,400 ^{0}C
Source of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %.
Temperature resistance (Primary chamber)	1400 ^{0}C
Temperature resistance (Secondary chamber)	1200 ^{0}C
Preheating Time	Maximum One Hour.
Temperature in Primary chamber	800 ± 50 ^{0}C
Temperature in Secondary chamber	1050 ± 50 ^{0}C
O_2 Content In Primary chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary chamber	2 sec.

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	200 Kg
Moc	Ss -304
Model No	Blutek Ac200
Insulation	Ceramic Wool On Outer Side
Pressure	2.1 Kg/Cm2
Air Emission	Highly Odorous But Non Toxic
Heating Media	By Steam Generated From Electric Heater Arrangement
Feeding	Manual Through Horizontal Trolley
Safety Instrument	Pressure Gauge And Safety Valve
Temperature	121 To 134 °C
Design Temperature	150 °C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms At Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier All Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 kg/hr
Model No.	BLUTEK-SDR100
Waste Materials	Bio-Medical Waste
Power	3 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VC
Hopper Size	300 x 400 mm Height
Drive	V Belt Pulley Drive
Required Space	4 m^2 (Only Machine)
MOC	MS Fabricated
MOC Blade	W.P.S. Hardened Changeable Blade
Control Panel	Dual Starter on / off Switch
Shredding Size	25 x 50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball bearing

Cutting Blade	5 Nos. (3 Movebles and 2 Fix Blade)

4. प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य –

Total Bed Strength And Health Care Facility in Surguja Division				
S.N.	**Type of HCF**	**No. of Health Care Facilities**	**Total No. of Beds**	**Estimated Waste Quantity in Kg/Day**
1.	Govt. Hospitals	192	3,300	660
2.	Private Hospital	164	1,154	270
3.	Clinic	53	-	30
4.	Pathology Lab.	18	-	10
5.	Blood Bank	2	-	1
6.	Govt. Health Care Sub Centre	1,052	-	150
Total		**1,481**	**4,454**	**1,121**

5. हजाड्र्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	**TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**	**SOURCE**	**QUANTITY GENERATED (Kg/Day)**	**METHOD OF DISPOSAL**
36.2	Ash	Incinerator	600	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	100	Sent to TSDF
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

6. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 12.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 1.8 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 10.7 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.6 घनमीटर एव औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 6.08 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित

जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 घनमीटर प्रतिदिन का निर्माण किया जाएगा। ईफ्ल्युऐंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत सेटलर, कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड आदि स्थापित करना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर कलेक्शन टैंक क्षमता 50 घनमीटर प्लांट के भीतर निर्मित की जाएगी। ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज क्षमता 1,687.5 घनमीटर प्रतिवर्ष होगा।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolsis में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फुल्डेड बेड स्क्रबर से तत्पश्चात् वेंचुरी स्क्रबर व साथ ही जल से ठण्डा करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उक्त स्क्रबर क्षारीय प्रकृति का होगा। (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।
8. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 200 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसमें 175 के.व्ही. विद्युत खपत वाली इनसिरेटर (Incinerator) का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 230 के.व्ही. डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 0.134 हेक्टेयर (1,340 वर्गमीटर) (लगभग 33 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का निर्णय:– समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) {Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)} हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:–

1. उपरोक्त स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "परिसंकटमय अपशिष्टों" के स्थान पर "जैव–चिकित्सा अपशिष्टों" का उल्लेख किया जाए। तदनुसार युक्तियुक्त संशोधन किया जाए।
2. जैव–चिकित्सा अपशिष्टों का संग्रहण, हथालन (handling), भंडारण, परिवहन एवं निपटान (disposal) तथा उपचारित दूषित जल गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषको के

उत्सर्जन बाबत् निर्धारित मानकों का पालन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार ई.आई.ए. में प्रस्ताव का समावेश किया जाए।

3. परियोजना क्षेत्र के चारो ओर वृक्षारोपण को दर्शाते हुए संशोधित ले–आउट प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 747)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 29850/2018, दिनांक 15/10/2018 को आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि में परिवर्तन होने के कारण टीओआर में संशोधन बाबत् प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 33485/2018, दिनांक 22/03/2019 (ऑफलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक 25/03/2019) को आवेदन किया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 18/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 12/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 243/2, कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर में प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना का कुल विनियोग रुपए 2.85 करोड़ है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 537, दिनांक 01/03/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) {Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)} हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 12/2, कुल क्षेत्रफल 0.607

हेक्टेयर में प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा हेतु टीओआर जारी किया गया था।

तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 49, दिनांक 27/04/2019 द्वारा प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा हेतु जारी टीओआर में स्थल स्थिति खसरा क्रमांक 12/2, कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा क्रमांक 243/4 (पार्ट ऑफ 243/1), कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति का मत है कि बस्तर क्षेत्र में चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTFS) नहीं है, इसकी यथाशीघ्र स्थापना आवश्यक है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली में बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के पालन के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी भी शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

अतः समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 25/07/2019 को संपन्न 287वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉयरेक्टर, श्री रोहितास भोमिया, प्रोजेक्ट हेड एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स इनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, सूरत की ओर से श्री परेश मेवावाला उपस्थित हुए। समिति द्वारा श्री बी.एस. ठाकुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल को जैव–चिकित्सा अपशिष्ट नियम से संबंधित तकनीकी परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. पूर्व में जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है।
2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
    - समीपस्थ आबादी ग्राम–कोकोड़ी 1.25 किलोमीटर एवं कोण्डागांव 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डा, जगदलपुर 64.6 किलोमीटर, रेल्वे स्टेशन जगदलपुर 64.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 3.3

किलोमीटर की दूरी पर है। बोलारी नाला 2.5 किलोमीटर एवं नारंगी नदी 7 कि.मी. की दूरी पर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- आरक्षित वन क्रमशः चिकलापुटो 1.85 किलोमीटर, बनियागांव 3.15 किलोमीटर, माकरी 7.67 किलोमीटर एवं उत्तरी–गोलावाड़ 8.6 किलोमीटर की दूरी पर है।

3. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण –**

- न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला–कोण्डागांव (छ.ग.) संधोधित आदेश क्रमांक/क/रीडर/24/अ–20(3)/2017–18, कोण्डागांव, दिनांक 15/03/2019 के आदेशानुसार ग्राम–कोकोडी में स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 243/1 रकबा 4.451 हे. में से 0.607 हे. भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागांव को "चिकित्सा अपशिष्ठों के निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTFS) की स्थापना हेतु आबंटित की है।

- भूमि को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागांव द्वारा 30 वर्षो के लिए दिनांक 01/06/2019 से 31/05/2049 तक लीज पर मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है।

4. **ट्रीटमेंट फेसीलिटी –**

- **Incineration through Induction PLASMA Pyrolysis**

BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS	
Capacity	200kg/hr
Type	Cylindrical vertical (solid waste feeding)
Source of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %.
Temperature resistance (Primary chamber)	1400 ^{0}C
Temperature resistance (Secondary chamber)	1200 ^{0}C
Preheating Time	Maximum One Hour.
Temperature in Primary chamber	800 ± 50 ^{0}C
Temperature in Secondary chamber	1050 ± 50 ^{0}C
O_2 Content In Primary chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary chamber	2 sec.

- **Autoclave**

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Capacity	200 kg/Batch
MOC	SS-304
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement

Feeding	Manual through horizontal Trolley
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134 ^{0}C
Design Temperature	150 ^{0}C

- **Shredder**

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Capacity	100kg/hr
Waste Materials	Biomedical waste
Power	3 HP
Shredding Size	25x50 mm Waste Cutting.
Cutting Blade	5 Nos. (3 movables & 2 fix blade)

5. प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य –

Total Bed Strength And Health Care Facilities in Bastar Division				
S.N.	**Type of HCF**	**No. of Health Care Facilities**	**Total No. of Beds**	**Estimated Waste Quantity in Kg/Day**
1.	Govt. Hospitals	175	3,058	612
2.	Private Hospital	23	1,211	243
3.	Clinic	88	-	40
4.	Pathology Lab.	22	-	10
5.	Blood Bank	2	-	1
6.	Govt. Health Care Sub Centre	804	-	150
Total		**1,114**	**4,269**	**1,056**

6. हजाड्र्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	**TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**	**SOURCE**	**QUANTITY GENERATED (Kg/Day)**	**METHOD OF DISPOSAL**
36.2	Ash	Incinerator	600	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	100	Sent to TSDF
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants after Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF

5.1	Waste oil	From plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10.1 किलोलीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 1.4 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 8.2 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति परिसर के भीतर ही बोरवेल से की जाएगी। हरित पट्टिका विकास के हेतु ड्रीप सिचाई/स्प्रीकलिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिससे स्वच्छ जल की आवश्यकता कम होगी। जल की आपूर्ति ग्राम–पंचायत कोकोड़ी से की जाएगी। ग्राम पंचायत कोकोड़ी (करंजी) द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा जल उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कुल दूषित जल की मात्रा 7.38 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। (घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.3 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 6.08 किलोलीटर प्रतिदिन) होगी। दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्ल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन का निर्माण किया जाएगा। ईफ्ल्युऐंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड आदि स्थापित करना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यो में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर कलेक्शन टैंक क्षमता 100 घनमीटर प्लांट के भीतर निर्मित की जाएगी। ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज क्षमता 1,687 घनमीटर प्रतिवर्ष होगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Pyrolsis में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वेंचुरी स्क्रबर एवं पैक्ड बेग स्क्रबर से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम तथा 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट हेतु निर्मित चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर रखी जाएगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

9. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 200 के.व्ही. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही. डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 0.22 हेक्टेयर (लगभग 36.47 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है।
12. जैव–अपशिष्टों का निपटान व्यवस्था का संचालन 365 दिवस किया जाएगा।
13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**
    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16/10/2018 से 15/01/2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 6 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15.9 से 28.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 34.7 से 61.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.3 से 11.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.3 से 29.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 56.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 43.9 डीबीए पाया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा कर्मचारियों को ईयर प्लग्स प्रदान करना, यथा संभव कार्य स्थल में डेम्पिग पेड का उपयोग करना, डी.जी. सेट एकॉस्टिकली प्रुफ इंक्लोजर में स्थापित करना, परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण करना आदि प्रस्तावित है।
14. लोक सुनवाई दिनांक 27/06/2019 प्रातः 11:30 बजे स्थान जिला कार्यालय, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**
    i. श्री जीवन लाल नाग, सरपंच, ग्राम पंचायत कोकोडी द्वारा कहा गया कि चुंकि यह प्रोजेक्ट हमारे गांव में बन रहा है। अतः इसमें हमारे गांव के लोगो को रोजगार मिले तथा गांव के किसानों की जमीन न जाए। प्रस्तावित परियोजना स्थल के 50–100 मीटर में जो घर है तथा उसके समीप गांव भी है। उन्हें नुकसान न हो, मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट कुछ दूर बने तथा गांव वालो को परेशानी न हो।
    ii. श्री हेमदास पारासर, ग्राम–कोकोडी द्वारा कहा गया कि इस प्रोजेक्ट का मैं विरोध कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेडिकल वेस्ट को इक्ठ्ठा किया जाएगा, जिससे आस–पास के गांव वालो को परेशानी होगी। इस प्रोजेक्ट को निरस्त करे क्योंकि यह जमीन पिताजी के समय से कब्जा है।
    iii. श्री धालेन्द्र पारासर, वार्ड पंच, ग्राम–कोकोडी द्वारा कहा गया कि इस जमीन पर पिता, दादा द्वारा कब्जा लगभग 70 सालों से है। इस जमीन पर मक्का एवं उड़द आदि हम लोगों द्वारा उगाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जमीन नहीं है। अतः इस जमीन को हम लोग नहीं देना चाहते है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि मेरे निवेदन पर ध्यान दिया जाए ताकि गांव का अहित न हो।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. कुल 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसमें 16 अकुशल तथा 24 कुशल कारीगरों को नौकरी मिलेगी, जिसमें 90 प्रतिशत (36 कारीगर) छत्तीसगढ़ के निवासी होगे तथा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. भूमि, न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला–कोण्डागांव (छ.ग.) के आदेशानुसार संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना हेतु आबंटित की गई है। वर्तमान में भूमि कंपनी के आधिपत्य में है।

iii. जैव–अपशिष्टों का हथालन एवं परिवहन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत् किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से जैव–अपशिष्टों का हथालन एवं परिवहन निर्धारित कलर कोडिग के अनुसार बंधे हुए बैग, ढंके हुए वाहनों (Covered Vehicles) से प्लांट परिसर में लाया जाएगा। इसके उपरांत सभी बैगों (Begs)का निर्धारित पद्धति से निपटान किया जाएगा। जिससे आसपास के क्षेत्रों में दुष्प्रभाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 286.05	2%	Rs. 5.80	Following activities at primary/high school village-Kokodi	
			Potable Drinking Water Facility	1.0
			Rain Water Harvesting	0.50
			Solar power plant	3.30
			Over head tank for runnig water	0.50
			Plantation	0.50
			Total	**Rs. 5.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

<u>समिति का निर्णय</u>:– समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 243/4 (पार्ट ऑफ 243/1), कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर में प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200

किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की जाये।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: श्री रमेश अग्रवाल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22/04/2019 के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाना।

श्री रमेश अग्रवाल सदस्य, जनचेतना, सत्यम कुंज, नया गंज रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 22/04/2019 (प्राप्ति दिनांक 04/05/2019) प्रेषित किया गया।

शिकायत में मेसर्स शिवाली उद्योग (आई) लिमिटेड, उरला इण्स्ट्रीयल एरिया एवं मेसर्स यूबी वेंचरर्स प्राईवेट लिमिटेड, नयनपुर – गिरवरगंज इण्स्ट्रीयल एरिया में स्थापित उद्योगों को बी–2 केटेगरी के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् शिकायत की गई है कि उक्त सभी उद्योग अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित नहीं हैं।

उसी प्रकार से (1) मेसर्स अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला, (2) मेसर्स हनुमान इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, (3) मेसर्स सार्थक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला एवं सरोरा, (4) मेसर्स स्कान स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुमा को बी–1 केटेगरी (ई.आई.ए. अध्ययन तथा लोक सुनवाई बिना) पैरा 7(ii) के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् शिकायत की गई है, कि पैरा 7(ii) का उपयोग ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) प्रावधानों के तहत् नहीं किया गया है। अतः इन उद्योगों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019</u> –

समिति द्वारा समयाभाव के कारण प्रकरण में चर्चा पूर्ण नहीं हो पायी। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से शिकायतकर्ता के शिकायत पर आगामी बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> –

शिकायत का मुख्य बिंदु क्रमांक 1:–

निम्न उद्योगों को अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित नहीं होने उपरांत भी 'बी2' केटेगरी के अंतर्गत मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है:–

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मेसर्स शिवाली उद्योग (इण्डिया) लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर
2.	मेसर्स यूबी वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड, नयनपुर–गिरवरगंज इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–सूरजपुर

शिकायत बिंदु क्रमांक 1 के संबंध में तथ्यः

(I) **औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं नयनपुर–गिरवरगंज के संबंध में:–**

1. राज्य शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उरला वर्ष 1980 से एवं नयनपुर–गिरवरगंज वर्ष 2003 से स्थापित है।

2. शासन द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं क्षेत्र का विकास कर, इन क्षेत्रों का संचालन शासन/शासकीय उपक्रम सी.एस.आई. डी.सी. (CSIDC) द्वारा किया जा रहा है।

3. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–36/2014/11/(6), दिनांक 28/01/2015 के तहत् औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति में औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:–

"औद्योगिक क्षेत्र से आशय है तथा इसमें सम्मिलित है–नियत दिनांक से पूर्व एवं पश्चात् के राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन के आधिपत्य में तथा संधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, राज्य शासन/भारत सरकार से अनुमोदित/सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र, नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र तथा अंशतः औद्योगिक क्षेत्र (ऐसे उद्योग जिन्होने औद्योगिक क्षेत्रों में अंशतः भूमि आबंटन प्राप्त कर एवं अंशतः औद्योगिक क्षेत्रों से संलग्न भूमि क्रय कर उद्योग स्थापित किया जा रहा है/उद्योग स्थापित किया गया हो)।"

4. राज्य शासन की उपरोक्त वर्णित औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुसार उपरोक्त सभी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा उरला एवं नयनपुर–गिरवरगंज को अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत माना गया।

(II) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:–

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

अतः बिन्दु क्रमांक 2(अ) में उल्लेखित उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने, सेकेण्डरी मेटालर्जिकल (Metallurgical) प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज के अंतर्गत आने तथा क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष से कम होने के आवेदन करने के कारण, उपरोक्त गाईडलाईन के अनुसार इन उद्योगों को 'बी2' केटेगरी के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

शिकायत का मुख्य बिंदु क्रमांक 2:

इस बिंदु के तहत् निम्न उद्योगों को 'बी1' केटेगरी का मानकर तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के पैरा 7(ii)(a) के प्रावधान के अंतर्गत बिना ई.आई.ए. अध्ययन तथा लोक सुनवाई के पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने बाबत्:–

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मेसर्स अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला, जिला–रायपुर
2.	मेसर्स हनुमान इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, जिला–रायपुर
3.	मेसर्स सार्थक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला एवं सरोरा, जिला–रायपुर
4.	मेसर्स इस्कॉन स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुमा, जिला–रायपुर

शिकायत बिंदु क्रमांक 2 के संबंध में तथ्य:

1. उपरोक्त प्रकरण केवल क्षमता विस्तार के नहीं होकर, आधुनिकीकरण के तहत् बैकवर्ड इंटिग्रेशन कर इण्डक्शन फर्नेस के साथ हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल/केवल हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल की स्थापना/परिवर्तन करते हुए 60,000 टन प्रतिवर्ष से कम क्षमता के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के संबंध में थे। जिनमें क्षमता विस्तार वर्तमान में स्थापित इकाई के कार्य समय में वृद्धि कर/ईंधन (कोल/फर्नेश ऑयल) का परिवर्तन कर हॉट चार्जिंग सिस्टम अपनाए जाने/आधुनिकीकरण कर, उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

2. उद्योगों में प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं होना बताया गया। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

3. उक्त सभी स्थल औद्योगिक क्षेत्र में अथवा औद्योगिक क्षेत्र के समीप पूर्व से संचालित हैं तथा उद्योग के आसपास कई अन्य उद्योग स्थापित एवं संचालित हैं।

4. इन सभी उद्योगों के प्रस्ताव में प्रस्तावित आधुनिकीकरण के फलस्वरूप प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् वर्तमान में जल एवं वायु सम्मति प्राप्त क्षमता से उत्पादन किए जाने **तथा प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पादन किए जाने से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में वर्तमान में उत्सर्जित स्तर से भी कमी** होने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. सभी प्रस्तावों में जल का उपयोग केवल कुलिंग हेतु किया जाकर शून्य निस्सारण (Zero Discharge) की स्थिति रखते हुए, जल के पुनःउपयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। क्षमता वृद्धि/आधुनिकीकरण में अतिरिक्त जल की खपत की क्षतिपूर्ति करने हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित कर, परिसर के भीतर स्टॉर्म वॉटर को भू–जल में रिचार्ज करने तथा परिसर के आस–पास स्थित शासकीय स्कूल/स्कूलों में रेन–वॉटर हार्वेस्टिंग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

6. ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि के दृष्टिगत इसका विभिन्न कार्यों में उपयोग करने तथा सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव

प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि उन उद्योगों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट मुख्यतः फर्नेस स्लेग, एण्ड कटिंग, मिल स्केल आदि का पुनःउपयोग हो जाता है। ये ठोस अपशिष्ट Hazardous Waste के अंतर्गत नहीं आते है।

7. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित कार्यकलाप आधुनिकीकरण के साथ क्षमता विस्तार से वायु प्रदूषण कम होना तथा अन्य पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य (insignificant impact on environment) होना पाया गया।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधित अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 द्वारा पैरा 7(ii)(a) में निम्न प्रावधान है:–

"All applications seeking prior environment clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environment clearance has been granted under this notification

Or

with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects

Or

for the modernisation of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology

Or

involving a change in the product-mix

shall be made in From I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and public consultations and the application shall be appraised for grant of environment clearance."

9. उपरोक्त बिन्दु से स्पष्ट हैं कि राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (SEAC), पैरा 7(ii)(a) के तहत् दिए गये प्रावधान "for the modernisation of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology" के तहत् उपयुक्त प्रकरणों पर विचार कर ई.आई.ए. अध्ययन तथा लोक सुनवाई के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा कर सकती है। राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (SEAC) द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को उपरोक्त प्रावधान के तहत् उपयुक्त पाया गया।

<u>समिति का निर्णय</u>:– उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिकायत पर आगामी कार्यवाही हेतु विचार की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **मेसर्स छापर भानपुरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री राजीव बाजपेयी), ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 676)**

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 22565/ 2018, दिनांक 22/03/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 22565/ 2018, दिनांक 29/03/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

<u>प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरण</u>:– समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी है, को उल्लंघन की श्रेणी में मानना है।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–छापर भानपुरी, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1096 (ओल्ड) 161/1 ग, कुल लीज क्षेत्र 1.376 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 7,500 टन/वर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/03/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 15/05/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) <u>समिति की 278वीं बैठक दिनांक 15/05/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/05/2019 द्वारा सूचना दिया गया कि समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित

होना संभव नहीं है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/06/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 282वीं बैठक दिनांक 13/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव बाजपेयी, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. ग्राम पंचायत छापर भानपुरी द्वारा दिनांक 12/06/1993 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो–423/ नाग/ 06–रायपुर/ 306, दिनांक 11/08/2016 (अवधि 2015–16 से 2019–20 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2309 दिनांक 27/09/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–छापर भानपुरी लगभग 1.5 किलोमीटर एवं शहर जगदलपुर 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकोट राज्यमार्ग 0.9 किलोमीटर है। प्राइमरी स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–छापर भानपुरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन तोकापाल 14.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.41 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 10.03 किलोमीटर दूर है। इंद्रावती नदी 2.1 किलोमीटर एवं नारंगी नदी 11.93 किलोमीटर की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर द्वारा दिनांक 07/08/2018 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
7. लीज डीड श्री राजीव बाजपेयी के नाम पर है। पूर्व में प्रथम लीज दिनांक 09/08/1995 से 08/08/2015 तक स्वीकृत था, तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 08/08/2045 तक की अवधि हेतु स्वीकृत होना बताया गया है।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3398, दिनांक 29/08/1995 द्वारा उत्खनन कार्य हेतु भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। वर्तमान में उत्खनन कार्य दिनांक 06/02/2018 से बंद होना प्रतिवेदित किया है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला–बस्तर के पत्र क्रमांक 2479, दिनांक 24/10/2018 द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व 10,02,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,38,650 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.03 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र में छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 0.228 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन क्षेत्र एक छोटी पहाड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से उत्खनन पहाड़ी काटकर किया गया है। वर्तमान में 15 मीटर तक पहाड़ी में उत्खनन किया गया है, तत्पश्चात् 10 मीटर नीचे और उत्खनन सतह तक किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 72 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ड्रिलिंग एवं ब्लाटिंग किया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के अंदर 0.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्रशर युनिट क्षमता 50 टन प्रतिदिन स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 100 नग प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष (जनवरी–दिसम्बर)	वास्तविक उत्खनन (टन)
1996	6,790
1997	2,678.63
1998	1,894
1999	2,762
2000	2,346
2001	1,058
2002	4,446
2003	7,206
2004	3,568
2005	3,105
2006	2,697
2007	4,025
2008	6,733
2009	4,409
2010	5,091
2011	3,317
2012	3,299
2013	4,634
2014	4,203
2015	5,180
2016	1,026
2017	1,217
2018	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2018–19	7,500
2019–20	7,500

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.4	Following activities done in nearby School	
			Rain water harvesting in Govt School	Rs.0.20
			Potable drinking water facility in 2 near by Govt School.	Rs.0.24
			Total	**Rs. 0.44**

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.4 से 25.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 35.8 से 56.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.78 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 11.92 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.6 डीबीए से 50.3 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – रेमिडियल प्लान के प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव वाजपेयी, प्रोपराईटर द्वारा उपस्थित होकर आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया।
2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई वृक्ष नहीं काटे गये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. प्रस्तुत रेमेडियल प्लान में दी गई गणना वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। अतः समिति द्वारा उक्त को अमान्य किया गया।
7. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 63rd conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards /

Committees held on March 18, 2018" का अवलोकन किया गया। उक्त conference के कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" का समिति सदस्यों द्वारा अध्ययन/अवलोकन किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर समिति द्वारा विचार किया एवं पाया गया कि:–

i. प्रतिवेदन में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology का वर्णन करते हुये उद्योगों के लिए Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला निर्धारित किया गया:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Note:

a. The industrial sectors have been categorized into Red, Orange and Green, based on their Pollution Index in the range of 60 to 100, 40 to 59 and 21 to 40 respectively. It was suggested that the average Pollution Index of 80, 50 and 30 may be taken for calculating the Environmental Compensation for Red, Orange and Green categories of industries, respectively.

b. N, number of days for which voilation took place is the period between the day of voilation observed / due date of the direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB / SPCB / PCC.

c. R, is the factor in Rupees, which may be minimum of 100 and maximum of 500. It is suggested to consider R as 250, as the Environmental Compensation in cases of voilation.

d. S, could be based on small / medium / large industries categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.

e. LF, could be based on population of the city / town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal bounary of the city / town, following factors (LF) may be used.

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उपरोक्त फार्मुला को मण्डल की 46वीं बैठक, दिनांक 29/07/2019 से छत्तीसगढ़ में अंगीकृत करते हुए लागू किया गया है।

iii. उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए निर्धारित मापदण्ड नहीं हैं। स्पष्टता के अभाव में समिति ने निर्णय लिया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा प्रस्तावित तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा

adopted उपरोक्त फार्मुला को प्रयोग के तौर पर उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए ही मान्य किया जाये।

iv. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated March 7, 2016 की संशोधित गाईडलाईन अनुसार माईनिंग के प्रकरण रेड कैटेगरी के अंतर्गत आते है।

v. समिति द्वारा निर्धारित Formula में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) के संबंध में गहन विचार किया गया। समिति का मत है कि माईनिंग एरिया (खदान) शहरी क्षेत्र से काफी दूर है तथा खदान के 10 किलोमीटर के भीतर जनसंख्या बहुत कम है। जबकि निर्धारित Formula उद्योगों (Industries) हेतु बनाया गया है। इसकी सूची में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से अधिक की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान नहीं होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु निम्नानुसार माना जायेः–

क्रमांक	जनसंख्या (लाख में)	लोकेशन फैक्टर (L-Factor)
1	5–10	1.0
2	1–5	0.75
3	1 से कम	0.5

यह मापदण्ड केवल खदानों के लिए निर्धारित किया गया है।

vi. अतः उत्खनन प्रकरणों के लिए PI - 80, R-Factor - 250, S-Factor - 0.5 एवं L-Factor उपरोक्तानुसार लेने का निर्णय लिया गया।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की अवधि में कुल 2,243 टन खनिज का उत्खनन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उल्लंघन की अवधि में 40 से 50 टन प्रतिदिन उत्पादन किया गया था। समिति द्वारा विचार कर यह निर्णय लिया गया कि उत्पादन अनुसार उल्लघंन दिवस 57 (2300 टन/40 = 57 दिन) माना जाए।

viii. Environmental Compensation की राशि की गणना उपरोक्त फार्मुला के अनुसार निम्नानुसार होती हैः–

Environmental Compensation = PIxNxRxSxLF

Environmental Compensation = 80x57x0.5x0.5x250

Environmental Compensation = Rs. 2,85,000 /-

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–</u>

1. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 2,85,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 2,85,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. सचिव, ग्राम पंचायत कुरुसकेरा, ग्राम–कुरुसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 826ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34078/2019, दिनांक 10/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरुसकेरा, ग्राम पंचायत कुरुसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019 – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया

था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती खुलेश्वरी नगारची, सरपंच एवं श्री श्याम लाल साहू, सचिव, ग्राम पंचायत कुरूसकेरा तथा श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का परीक्षण किया एवं पाया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु खनि निरीक्षक के पत्र दिनांक 23/07/2019 द्वारा आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती खुलेश्वरी नगारची, सरपंच एवं श्री श्याम लाल साहू, सचिव, ग्राम पंचायत कुरूसकेरा तथा श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरुसकेरा दिनांक 16/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 344, दिनांक 11/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुरुसकेरा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम– कुरुसकेरा 1 किलोमीटर एवं अस्पताल राजिम 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 910 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 196 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.18 मीटर है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District

Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) दिया गया है।

13. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कुरुसकेरा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के

पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कुरुसकेरा, ग्राम पंचायत कुरुसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत कोपरा, ग्राम–कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 827)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34515/2019, दिनांक 10/04/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–84,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019</u> – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती डॉली साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत कोपरा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का परीक्षण किया एवं पाया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु खनि निरीक्षक के पत्र दिनांक 23/07/2019 द्वारा आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती डॉली साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत कोपरा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोपरा दिनांक 29/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 436, दिनांक 25/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 10 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–कोपरा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल राजिम 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 980 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 200 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,59,800 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit)

खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.76 मीटर है।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) दिया गया है।
13. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कोपरा) का रकबा 4.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर

रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कोपरा, ग्राम पंचायत कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 4.7 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 23,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत चौबेबांधा, ग्राम–चौबेबांधा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 889)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36894/2019, दिनांक 28/05/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चौबेबांधा, ग्राम पंचायत चौबेबांधा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 147, कुल लीज क्षेत्र 4.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–88,920 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019</u> – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती इन्द्रा ध्रुव, सरपंच एवं श्री जागेश्वर साहू, सचिव, ग्राम पंचायत चौबेबांधा तथा श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चौबेबांधा दिनांक 23/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 771/खनि/न.क्र./2018/ गरियाबंद, दिनांक 21/12/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 10 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–चौबेबांधा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रायमरी स्कूल ग्राम–चौबेबांधा 1 किलोमीटर एवं अस्पताल राजिम 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 630 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 358 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 98,800 घनमीटर है।

10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 29/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.07 मीटर है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् आश्वासन दिया गया है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक प्रस्तावित खदान है। आवेदित खदान नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
14. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2

प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–चौबेबांधा) का रकबा 4.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 147, ग्राम–चौबेबांधा, ग्राम पंचायत चौबेबांधा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 4.94 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 24,700 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत पुरनापानी, ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 804)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33934/2019, दिनांक 02/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पुरनापानी, ग्राम पंचायत पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.10 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन तेलनदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–73,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019 – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती वेदमति धुव्र, सरपंच, ग्राम पंचायत पुरनापानी एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हे। खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशील चन्द्र निधि, उप सरपंच, ग्राम पंचायत पुरनापानी एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पुरनापानी दिनांक 25/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 561/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 07/08/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 10 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–पुरनापानी 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल छुरा 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 430 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 185 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 82,000 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 01/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 1.88 मीटर है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् आश्वासन दिया गया है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक प्रस्तावित खदान है। आवेदित खदान नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
14. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई

है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तेल नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पुरनापानी) का रकबा 4.10 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पुरनापानी, ग्राम पंचायत पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 4.10 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 20,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत लचकेरा, ग्राम–लचकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 809)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34026/2019, दिनांक 05/04/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–लचकेरा, ग्राम पंचायत लचकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 21, कुल लीज क्षेत्र 4.81 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बघनई नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–86,580 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019</u> – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया

था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कोमल राम ढीढी, सरपंच, ग्राम पंचायत लचकेरा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कोमल राम ढीढी, सरपंच, ग्राम पंचायत लचकेरा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लचकेरा दिनांक 14/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 374/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 13/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 20 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध

या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–लचकेरा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल राजिम 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 470 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 113 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 96,200 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 13/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.98 मीटर है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् आश्वासन दिया गया है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक प्रस्तावित खदान है। आवेदित खदान नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
14. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी

रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। बघनई नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–लचकेरा) का रकबा 4.81 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020,

2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 21, ग्राम–लचकेरा, ग्राम पंचायत लचकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 4.81 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. सरपंच, ग्राम पंचायत ताकम, ग्राम–ताकम, तहसील व जिला–बेमेतरा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 773)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 93983/2019, दिनांक 02/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/02/2019, 27/03/2019 एवं 01/04/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/04/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ताकम, ग्राम पंचायत ताकम, तहसील व जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019 – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण

प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण सिंह पटेल, सरपंच एवं श्री केहर सिंह साहू, सचिव, ग्राम पंचायत ताकम तथा श्री आशिष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक प्रस्तावित खदान है। आवेदित खदान नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
5. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि रेत खदान ताकम खसरा क्रमांक 706 को निरस्त किया गया है। अतः समिति द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा शीघ्र प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन दिया गया।

समिति द्वारा द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य

समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत ताकम एवं श्री आशीष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ताकम दिनांक 23/09/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 338/खनि. लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 13/06/2019 के संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–ताकम 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शासकीय स्कूल ग्राम–ताकम 0.5 किलोमीटर एवं शासकीय अस्पताल 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 8 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 220 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 78 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 04/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। उनके द्वारा एक माह के

भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) दिया गया है।

12. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–ताकम) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा क्रमांक 01, ग्राम–ताकम, ग्राम पंचायत ताकम, तहसील व जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. सरपंच, ग्राम पंचायत कुकदा, ग्राम–कुकदा, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 819)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34375/2019, दिनांक 08/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुकदा, ग्राम पंचायत कुकदा, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1205, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019 – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री परीक्षित राम, सरपंच, ग्राम पंचायत कुकदा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री परीक्षित राम, सरपंच, ग्राम पंचायत कुकदा एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुकदा दिनांक 05/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 440/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 25/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 10 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुकदा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल राजिम 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 460 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 185 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 13/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.2 मीटर है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के

दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। उनके द्वारा एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) दिया गया है।

13. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पैरी नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कुकदा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1205, ग्राम–कुकदा, ग्राम पंचायत कुकदा, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–09** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. सरपंच, ग्राम पंचायत पसौद, ग्राम–पसौद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 821)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34393/2019, दिनांक 08/04/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पसौद, ग्राम पंचायत पसौद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 373, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सुखा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–84,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019</u> – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलराम ध्रुव, सरपंच एवं श्री गंगाराम, उपसरपंच, ग्राम पंचायत पसौद तथा श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलराम ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत पसौद एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पसौद दिनांक 06/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 293/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 08/05/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 10 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–पसौद 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल राजिम 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 470 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 146 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 96,000 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 13/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.5 मीटर है।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् आश्वासन दिया गया है।
13. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। सुखा नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पसौद) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 373, ग्राम–पसौद, ग्राम पंचायत पसौद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–10** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद, ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 823)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34439/2019, दिनांक 09/04/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पितईबंद, ग्राम पंचायत पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–88,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019</u> – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. ग्राम–पितईबंद, ग्राम पंचायत पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 176, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर एवं ग्राम–पितईबंद, ग्राम पंचायत पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर को दूरी दर्शाते हुए माईनिंग विभाग द्वारा प्रमाणित कर, एक प्रमाण पत्र में दर्शाकर (नक्शा सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गायत्री यदु, सरपंच एवं श्री संतूराम ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत पितईबंद तथा श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी

वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान, नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 3 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गायत्री यदु, सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद एवं श्री उमेश कुमार भार्गव, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पितईबंद दिनांक 10/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 401/खनि/न.क्र./2018 गरियाबंद, दिनांक 19/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–पितईबंद 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल राजिम 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1,108 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 200 मीटर दर्शाई गई है।

9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है।
10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Pre-Monsoon) आंकड़ें दिनांक 13/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
11. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 1.65 मीटर है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। एक माह के भीतर डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) प्रस्तुत किए जाने बाबत् आश्वासन दिया गया है।
13. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक को जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार खनि निरीक्षक द्वारा जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) खनि अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिनांक 25/07/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) <u>समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019</u> – समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) बनाने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के कारण खनि निरीक्षक द्वारा डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित वर्तमान में जिले में स्वीकृत सभी रेत खदानों की नदीवार सूची (नक्शे में दर्शाते हुए) प्रस्तुत की गई है। खनि निरीक्षक द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि घोषित रेत खदानों में वर्षा ऋतु के पश्चात् पुनः रेत भराव हो जाता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन (Commitment) दिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में

किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पितईबंद) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पितईबंद, ग्राम पंचायत पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–11** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद(ली) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर, ग्राम–अरौद(ली), तहसील व जिला–धमतरी (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 49,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 49,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 65 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY (INDUCTION PYROLSIS - 200 KG/HR, AUTO CLAVE - 200 KG/BATCH AND SHREDDER - 100 KG/HR) OF M/S V. M. TECHNO SOFT PRIVATE LIMITED AT KHASRA NO. 12/2, VILLAGE- KOKODI, TEHSIL & DISTRICT- KONDAGAON

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
ii. Transportation and handling of Bio-medical Waste shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 including the section 129 to137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.
iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration- 2005, issued by CPCB. Guidelines of CPCB for Bio-medical Waste Common Hazardous Wastes incinerators shall be followed.
iv. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearance such as the approvals for the storages of the diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by the project proponent from the respective competent authorities.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system including Dioxin and furans to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 and connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
ii. Periodical Air Quality monitoring in and around the site including VOC, HC shall be carried out.
iii. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3% or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.
iv. The project proponent shall provide Venturiscrubber (Alkaline) and packed bed scrubber with the incinerator with stack of adequate height (minimum 30 meter) to control particulate emission within 50mg/Nm3.
v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for fugitive dust from all vulnerable source, so as to comply prescribed standards. All necessary air pollution control devices (quenching, Venturiscrubber, mist eliminator) should be provided for competent emission standards.

vi. Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

vii. Masking agent should be used for odour control.

viii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

ii. Waste water generated from the facility shall be treated in the ETP and treated waste water shall be reused. In the APCD connected to the incinerator.

iii. The water quality of treated effluent shall meet the norms prescribed by CPCB/ CECB. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

iv. Process effluent / any waste water should not be allowed to mix with storm water.

v. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details. Prior permission from the competent authority shall be obtained for use of fresh water.

vi. Sewage Treatment Plant shall be provided for treatment of domestic effluent generated from the project to meet the prescribed standards. Treated water shall be reused within the project.

vii. The leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

viii. Magnetic flow meters shall be provided at the inlet and outlet of the ETP & all ground water abstraction points and records for the same shall be maintained regularly.

ix. Rain water runoff form hazardous waste storage area shall be collected and treated in ETP.

x. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

xi. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

xii. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

xiii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. Incinerated ash shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard shall be submitted to Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh prior to the commencement of the project.

ii. The solid waste shall be segregated as per the norms of the Solid Waste Management Rules, 2016.

iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid waste should be obtained, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the municipal solid waste generated from the project.

iv. Any wastes from construction and demolition activity related their shall be managed to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

v. No landfill site is allowed within the Common Bio-medical Waste Treatment Facility site.

vi. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016. The project proponent shall not store the hazardous waste more than the quantity that has been permitted by the CPCB / CECB.

vii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.

VIII. Human health Issues

i. Feeding of materials / Bio-medical waste should be mechanized and automatic. No manual feeding is permitted.

ii. Proper parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.
iii. Necessary provision shall be made for fire-fighting facilities within the complex.
iv. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
v. Emergency Plan shall be drawn in consultation with CPCB / CECB and implemented in order to minimize the hazards to human health or environment from fires, explosion, or any unplanned sudden or gradual release of hazardous waste or hazardous waste constituents to air, soil or surface water.
vi. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
vii. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 286.05	2%	Rs. 5.80	Following activities at primary/high school village-Kokodi	
			Potable Drinking Water Facility	1.0
			Rain Water Harvesting	0.50
			Solar power plant	3.30
			Over head tank for runnig water	0.50
			Plantation	0.50
			Total	**Rs. 5.80**

ii. The project proponent shall submit detailed proposal (proposed school name, address & headwise estimated cost) for Corporate Environment

Responsibility within one month, failing which Environment Clearance shall be treated as cancelled.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six- Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

i. Local persons shall be given employment during development and operation of the facility.

ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of

financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract actionunder the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xiv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

सरपंच, ग्राम पंचायत कुरुसकेरा को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–कुरुसकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में पैरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 91 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत कोपरा को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.7 हेक्टेयर, ग्राम–कोपरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में पैरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 23,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.7 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 23,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 98 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत चौबेबांधा को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 147, कुल लीज क्षेत्र 4.94 हेक्टेयर, ग्राम–चौबेबांधा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में पैरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 24,700 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.94 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 24,700 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 63 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत पुरनापानी को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.10 हेक्टेयर, ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में तेल नदी से रेत उत्खनन क्षमता 20,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.10 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 20,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 43 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत लचकेरा

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 21, कुल लीज क्षेत्र 4.81 हेक्टेयर, ग्राम–लचकेरा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में बघनई नदी से रेत उत्खनन क्षमता 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.81 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 47 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉं सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत ताकम को खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–ताकम, तहसील व जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 22 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉं सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत कुकदा
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1205, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–कुकदा, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में पैरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 46 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सरपंच, ग्राम पंचायत पसौद
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 373, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर, ग्राम–पसौद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में सुखा नदी से रेत उत्खनन क्षमता 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 24,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 47 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर, ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति मे दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा कि रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होता है तथा रेत उत्खनन गतिविधीयों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार प्री–मानसून में (रेत उत्खनन उपरांत (माह मई अंत)) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2019, 2020, 2021 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

6. पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) नदी में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेने एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को देने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 24/12/2013 अनुसार रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नही किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 110 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिस में तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1000 पौधों का रोपण नदी तट पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।**
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वचछ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.